30/9/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम बणियालानगर पटवार हल्का मांकडी के खाता सं0 34 में दर्ज खसरा संख्या 3/2, 60/2, 64/2, 65/2 की खातेदारी में प्रार्थी के नाम तथा खाता संख्या 9 में दर्ज खसरा संख्या 3/1 ,6, 60/1, 63, 64/1, 65/1 की खातेदारी औकार पुत्र फूला के वारिसान के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 8 में दर्ज भूमि खसरा नं. 3/3 व 64/3 की खातेदारी प्रार्थी व औकार पुत्र फूला के वारिसान के नाम दर्ज है। उक्त भूमि भूप्रबंधन से पूर्व राजस्व ग्राम श्यामनगर में स्थित थी तथा इसके पुराने ख.न. 738, 739, 744, 748/3/5 कुल किता 4 कुल रकबा 3.88 प्रार्थी व प्रार्थी के भाई औकार के नाम सहखातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि का दोनों भाइयों ने आपसी सहमति से तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष उपस्थित होकर बंटवारा कर लिया था जिसके क्रम में तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश क्रमांक भू.अ./08/58 दिनांक 02.02.2008 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन स्वीकार किया गया। दौराने भूप्रबंधन नवीन नक्शा बनाते समय राजस्व कार्मिकों ने उक्त सहमति विभाजन के साथ संलग्न नक्शा अनुसार नवीन खसरा नंबरो की तरमीम नवीन नक्शे में नहीं की व गलत जगह तरमीम कर दी। अतः मुताबिक सहमति विभाजन दिनांक 02.02.2008 हाल नक्शे में तरमीम दुरूस्त की जावें। प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई जिन्होंने अपने पत्रांक भू.अ. /2022/5431 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्रेषित कर कार्यालय के आदेश क्रमांक भू.अ./08/58 दिनांक 02.02.2008 में संलग्न नक्शे के अनुसार अनुतोष दिये जाने पर सहमति व्यक्त की है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आपसी सहमति विभाजन आदेश दिनांक 02.02.08 , भूप्रबंधन से पूर्व की जमाबंदिया, मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र दुरूस्ती स्वीकार किया जाना उचित है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व नक्शा भूप्रबंधन के दौरान हुए आपसी सहमति विभाजन के नक्शे अनुसार नहीं है एवं गलत है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2022/5431 दिनांक 29.08.2022 द्वारा होती है। इस प्रकार प्रस्तुत

रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

प्रा0 पत्र0 111/2022
निर्णय दिनांक 30.09.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बणियालानगर पटवार हल्का मांकडी के खाता सं0 34 में दर्ज खसरा संख्या 3/2, 60/2, 64/2, 65/2 खाता संख्या 9 में दर्ज खसरा संख्या 3/1 ,6, 60/1, 63, 64/1, 65/1 तथा खाता संख्या 8 में दर्ज भूमि खसरा नं. 3/3 व 64/3 के वर्तमान नक्शे की तरमीम आपसी सहमति विभाजन के क्रम में कार्यालय तहसीलदार के आदेश क्रमांक भू.अ./08/58 दिनांक 02.02.2008 के साथ संलग्न नक्शें अनुसार दुरूस्त की जावें। आदेश दिनांक 02.02.2008 के साथ संलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)